राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प. 2(6)राज-6/04/15 जयपुर दिनांक 23-7-04

समस्त जिला कलेक्टर,

राजस्थान ।

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अध्यक्ष, ग्रामदानी गांव या अध्यक्ष, भूदान बोर्ड द्वारा ग्रामदानी गांवों में स्थित भूमियों का नियम 1992 के तहत अकृषिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन कर दिया जाता है तथा उक्त आदेश के तहत तहसीलदार द्वारा नामान्तरण भी खोले जाते है । अध्यक्ष, ग्रामदानी गांव/ भूदान बोर्ड द्वारा भूमि के स्पान्तरण आदेश जारी करना गैर कानूनी व उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है । ऐसे आदेशों से राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है ।

अतः निर्देश दिए जाते है कि अध्यक्ष, ग्रामदानी गांव / भूदान बोर्ड कृषि भूमि की आबादी, औद्योगिक, व्यावसायिक या होटल, पेट्रोल पम्प आदि हेतु किस्म परिवर्तन/कन्वर्जन करने के लिए अधिकृत नही है और भविष्य में ऐसा नही करें । यदि आपके जिले में किसी ग्रामदानी गांव या भूदान बोर्ड द्वारा ऐसा किस्म परिवर्तन या कनवर्जन किया गया है तो उन्हें निरस्त करें । साथ ही यह सुनिश्चित करें कि ग्रामदानी भूमि का स्पान्तरण भी राजस्व भूमि में संपरिवर्तन हेतु बने नियमों के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जावे ।

आज्ञा से

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ।
2. अध्यक्ष, ग्रामदान/ भूदान बोर्ड, धाभाई जी की हवेली, हवामहल बाजार, जयपुर ।
3. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव